विज्ञापन संख्या– 5094 / जी–437 / 2025
दि० 06/09/2025

विज्ञप्ति

आवश्यकता है

मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर 2019 एवं संशोधित नीति 2020 के अंतर्गत 11 माह के लिए दो युवा पेशेवरों को रखे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखंड, देहरादून में (क) ड्रग सेक्शन में नवीन औषधि योगों, व लाईसेंस आदि के ऑनलाईन अंकन तथा पूर्व में दिये गये लाईसेन्स, औषधि योगों के डिजिटाईजेशन की व्यवस्था किये जाने हेतु तथा (ख) योग नीति के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों के संचालनार्थ पोर्टल आदि का निर्माण किये जाने हेतु, योग केन्द्रों के डिजिटल पंजीकरण आदि की व्यवस्था कराये जाने हेतु निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा **मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति 2019 एवं संशोधित नीति, 2020** के अंतर्गत 11 माह के लिए दो युवा पेशेवरों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं–

आवश्यक दिशा निर्देशः–

1. युवा पेशेवरों के कार्य किए जाने की अवधि 11 माह निर्धारित है।
2. युवा पेशेवर कार्यक्रम के अधीन, आवेदकों के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किए गये हैं। सभी युवा पेशेवरों के लिए आवश्यक है कि वे :–

(क) भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक उपाधि धारक हो (अनिवार्य अर्हता)

- **(सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम– 50 प्रतिशत)**
- **(राज्य की अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 45 प्रतिशत)**

(ख) पोर्टल निर्माण सम्बन्धी कार्य / कम्प्यूटर के माध्यम से डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य / संस्थानों के पंजीकरण सम्बन्धी कार्य / आयुर्वेद आधारित औषधि योगों के निर्माण सम्बन्धी कार्य / सूचना प्रौद्योगिकी के समन्वय सम्बन्धी कार्य / विभागीय नीतियों के संचालन / अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य / सी0एस0एस0 में तकनीकी कार्य किये जाने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। **(अनिवार्य अर्हता)**

(ग) आयुर्वेद / योग / कम्प्यूटर / आई0टी0 सम्बन्धी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों से डिग्री / डिप्लोमा **(अधिमानी अर्हता)**

(घ) विज्ञापन की तिथि को आयु 22 से 30 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है।

(ङ) युवा पेशेवर को हिंदी, अंग्रेजी एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

3. श्रेष्ठता की गणना स्नातक, परास्नातक, कार्यानुभव व वांछित विषय में डिग्री/डिप्लोमा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, जो कि निम्नवत रहेगी–

1	**स्नातक के 60 अंक**	
i	प्राप्तांक 50–60 के मध्य (अनुसूचित जाति, जननाति एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु 45–60 के मध्य)	20 अंक
ii	प्राप्तांक 60–70 के मध्य	40 अंक
iii	प्राप्तांक 70–100 के मध्य	60 अंक
2	**परास्नातक के 10 अंक**	
i	प्राप्तांक 50–60 के मध्य	02 अंक
ii	प्राप्तांक 60–70 के मध्य	06 अंक
iii	प्राप्तांक 70–100 के मध्य	10 अंक
3	**निर्धारित क्षेत्रों में कार्यानुभव के 10 अंक**	
i	01 वर्ष का कार्यानुभव	04 अंक
ii	01–03 वर्ष का कार्यानुभव	06 अंक
iii	03 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव	10 अंक
4	**आयुर्वेद/योग/कम्प्यूटर/आई0टी0 सम्बन्धी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से डिग्री/डिप्लोमा के 10 अंक**	
5	**साक्षात्कार के 10 अंक**	

4. अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदनों के सापेक्ष शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुसार साक्षात्कार को छोडकर शेष बिन्दुओं पर अंक निर्धारण कर प्राप्तांकों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
5. चयनित युवा पेशेवर को कार्य संपादन हेतु अपना स्वयं का लैपटॉप लाना होगा।
6. आवेदक के विरुद्ध पूर्व में किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लंबित ना होने का स्व प्रमाणित प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।
7. आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित किया जायेगा कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति, 2019 के अन्तर्गत किसी भी विभाग/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नहीं किया गया है।
8. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच (scrutiny) के उपरांत अर्ह अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। इस संबंध में आवेदक को डाक/ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।
9. युवा पेशेवर द्वारा निर्धारित अवधि पूरा न करने पर युवा पेशेवर को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

10. चयनित अभ्यर्थी/युवा पेशेवर को प्रतिमाह रू0 35,000/– की एक मासिक टोकन वृत्तिका देय होगी। यदि कोई युवा पेशेवर मध्य में ही, अर्थात सत्र (11 माह) के पूर्ण होने के पहले ही कार्य छोड़ देता है तो वह अवशेष वेतन तथा प्रमाण पत्र का हकदार नहीं होगा।

11. चयनित युवा पेशेवर को मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति 2019 में उल्लिखित **''युवा पेशेवरों के दायित्वों''** का निर्वहन किया जाना होगा।

12. आवेदक अपना आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर **निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं डांडा लाखौंड, सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, देहरादून– 248001** के पते पर दिनांक **22 सितम्बर 2025 की सांय 5:00** बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा उपलब्ध करा सकते है, तदोपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

13. आवेदनों को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा स्वीकृत करने का सर्वाधिकार निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड, देहरादून के पास सुरक्षित होगा।

14. उक्त कार्यक्रम किसी भी प्रकार की रोजगार की गारंटी नहीं देता है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड, देहरादून के परिसर में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष संख्या 0135–2608742 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ0 के0एस0 नपलच्याल)
संयुक्त निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा पेशेवर (Young Professional) कार्यक्रम, 2025
आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम:

2. पिता / पति का नाम:

3. पत्राचार हेतु पता:

4. स्थाई पता:

5. ईमेल:

6. मोबाइल नंबर:

7. जन्मतिथि:

स्व प्रमाणित फोटो

8. शैक्षिक योग्यता:

क0सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक / प्रतिशत	विषय

9. युवा पेशेवर अवधि
10. अनुभव :
11. आपने युवा पेशेवर का चयन क्यों किया है **(चयनित सेक्टर के संबंध में अधिकतम 100 शब्दों का उल्लेख प्रथक पृष्ठ में संलग्न करें)**
12. आवेदक अपनी दो फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा विश्वविद्यालय / संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
13. आवेदक इस आशय का स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि उसके विरुद्ध संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है तथा उसके विरुद्ध कोई पुलिस केस नहीं है।
14. आवेदक द्वारा उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति 2019 के अंतर्गत किसी भी विभाग / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नहीं किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:
स्थान:

(आवेदक का नाम)